EDU Journal of International Affairs and Research (EJIAR), ISSN: 2583-9993
Volume 4, Issue 3, July-September, 2025, Available at: https://edupublications.com/index.php/ejiar

सहकारी संस्थाओं में ई. गवर्नेंस: प्राथमिक सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण एवं सुदृढ़ीकरण

रामसुख शोधार्थी

लोक प्रशासन विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

सारांश

भारत में सहयोग आधारित आर्थिक तथा व्यावसयिक गतिविधियों की शुरूआत वैदिक काल में ही हो चुकी थी, महाकाव्य काल में उनका विस्तार हुआ। **उत्तर** वैदिक काल तथा बौद्ध काल में वे देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ बन चुकी थी। भारतीय सहकारिता की अवधारणा के बीज की तलाश इन आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों में आसनी से की जा सकती है।

सहकारिता के विचारों तथा उसकी आधुनिक अवधारणा का जन्म जहाँ ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी में माना जाता है, वहीं औद्योगिक क्रान्ति के दौरान तथा उसके बाद के समय में सहकारिता को एक सांगठनिक स्वरूप मिला। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ सहकारिता आन्दोलन जीवन के एक सिद्धांत और व्यवसाय की एक प्रणाली दोनों रूपों में विकसित हुआ है। यहाँ इसकी भूमिका सामाजिक-आर्थिक विकास में एक स्वैच्छिक साहचर्य के उस मंच के रूप में ज्यादा रही है जहाँ लोग साम्यता और सबकी भलाई के सिद्धांतों के आधार पर धन के उत्पादन तथा वितरण में पारस्परिक सहयोग के लिए एकत्र होते हैं । इस दृष्टि से भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास की धारा में पीछे रह गए, हाशिये पर खड़े गरीब और वंचित वर्ग के सामान्य जन के उन्नयन में सहकारिता आन्दोलन की एक निश्चित सामाजिक भूमिका रही है, एक निश्चित सामाजिक उद्देश्य रहा है।

संकेताक्षरः-सहकारी आन्दोलन, बैकिंग,आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक,अधिनियम

प्रस्तावनाः-भारतीय संस्कृति में सहकारिता की आधुनिक अवधारणा के बीज सहज ही देखे जा सकते हैं। सभ्यता के आरंभिक चरण में मनुष्य की निरंतर बढ़ती आवश्यकताओं, व्यापार तथा विभिन्न शिल्पकलाओं के उद्भव और विकास के बीच सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता तथा महाकाव्य युग के लोगों के समूहबद्ध होकर व्यापार तथा अन्य आर्थिक गतिविधियाँ करने के संकेत मिलते हैं। व्यापार के सिलसिले में नये बाजारों तक आने-जाने तथा रास्ते के खतरों से निपटने के लिए व्यापारियों ने समूहबद्ध होकर यात्रा करना प्रारंभ किया, जो आगे चलकर सामूहिक उद्यमिता का रूप लेता चला गया। आर्थिक विकास के इसी क्रम में विपणन प्रणाली के साथ-साथ सहकारिता का भी जन्म हुआ।

चाणक्य रचित ‘अर्थशास्त्र‘ आदि पुस्तकों में उस समय के व्यापार तथा राजनीति के संबंधों की गहन विवेचना की गई है। इनमें यह संकेत मिलता है कि भारत में सहयोग आधारित आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों की शुरुआत वैदिक काल में ही हो चुकी थी, महाकाव्य काल में उनका विस्तार हुआ। उत्तर वैदिक काल तथा बौद्ध काल में वे देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ बन चुकी थीं। भारतीय सहकारिता की अवधारणा के बीज की तलाश इन आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों में आसानी से की जा सकती है। वेदों-उपनिषदों से लेकर स्मृतियों, पुराणों आदि ग्रंथों में सामूहिक उद्यमों तथा सहकार जैसी व्यवस्था की चर्चाएं मिलती हैं।

आधुनिक भारत में सहकारिता आंदोलन के सफर में अनेक उतार-चढ़ाव रहे। ब्रिटिश सरकार के प्रयासों से शुरू हुए सहकारिता के छोटे-छोटे कदमों ने धीरे-धीरे एक सामाजिक-आर्थिक आन्दोलन का रूप ले लिया जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अपना योगदान देने के साथ ही तथा भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी अपनी

महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। भारत में सहकारिता आंदोलन की अपनी कुछ कमजोरियाँ और कुछ खूबियाँ रही हैं। इन कमजोरियों और खूबियों के बीच सहकारिता आंदोलन ने भारत के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में एक नये परिवेश का निर्माण किया। कृषि क्षेत्र से शुरू हुए इस सहकारिता आंदोलन के दायरे का समय बीतने के साथ विस्तार हुआ और इसमें धीरे-धीरे छोटे-छोटे किसान, मजदूर, उद्यमी, कारीगर और कामगार शामिल होते गए।

प्राथमिक सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण एवं सुदृढ़ीकरण

भारत सरकार, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) को मजबूत करने के लिए, 2,516 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ कार्यात्मक पीएसीएस के कंप्यूटरीकरण के लिए परियोजना को लागू कर रही है, जिसमें सभी कार्यात्मक पीएसीएस को ईआरपी (उद्यम संसाधन योजना) आधारित आम राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाना, उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से जोड़ना शामिल है। ईआरपी (उद्यम संसाधन योजना) आधारित आम राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम (सीएएस) और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से पीएसीएस के प्रदर्शन में दक्षता लाता है। अब तक 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 67,930 पीएसीएस के कंप्यूटरीकरण के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भारत सरकार के हिस्से के रूप में 699.89 करोड़ रुपये तथा कार्यान्वियन एजेंसी नाबार्ड को 165.925 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

भारत सरकार ने 2022-23 से 2026-27 तक पांच साल की अवधि में कार्यात्मक प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित परियोजना शुरू की है। इस प्रकार, परियोजना की समाप्ति तिथि 31.03.2027 है।

ईआरपी पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पैक्स अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या 26,882 है। परियोजना दिशानिर्देशों के अनुसार, पैक्स द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए वित्तीय सहायता का कोई प्रावधान नहीं है।

सहकारिता मंत्रालय ने 6 जुलाई 2021 को अपनी स्थापना के बाद से, जमीनी स्तर पर सहकारी आंदोलन को मजबूत और गहरा करने के लिए कई पहल की हैं, जिसमें सहकारी क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण, बुनियादी ढांचे का विकास और डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण शामिल है, जैसे PACS को बहुउद्देशीय, बहुआयामी और पारदर्शी इकाई बनाने के लिए मॉडल उपनियम', 'कवर नहीं की गई पंचायतों में नई बहुउद्देशीय PACS/ डेयरी / मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना', 'सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अनाज भंडारण योजना के लिए पायलट परियोजना', 'राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण', 'कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों ;।त्क्ठद्ध का कम्प्यूटरीकरण' 'कार्यात्मक प्राथमिक कृषि ऋण समितियों ;च्।ब्ैद्ध का कम्प्यूटरीकरण', 'राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस', 'बहु-राज्य सहकारी समितियां ;डैब्ैद्ध अधिनियम, 2002 में संशोधन', 'आयकर अधिनियम में सहकारी समितियों को राहत', 'सहकारी चीनी मिलों के पुनरूद्धार के लिए पहल', बीज, जैविक उत्पाद और निर्यात के लिए तीन नई राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी समितियों की स्थापना, आदि।1

सहकारिता मंत्रालय (एमओसी) ने इन परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर कम्प्यूटरीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक बहुस्तरीय दृष्टिकोण अपनाया है। पैक्स के कम्प्यूटरीकरण सहित विभिन्न पहलों की प्रगति का आकलन करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी और अन्य जैसे प्रमुख हितधारकों को उनके राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों और मशीनरी के माध्यम से विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए शामिल किया गया है। विशेष रूप से पैक्स कम्प्यूटरीकरण परियोजना की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की निगरानी और कार्यान्वयन समिति (एनएलएमआईसी), राज्य और जिला स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समितियां

(एसएलआईएमसी और डीएलआईएमसी) बनाई गई हैं।2 इसके अलावा, सहकारिता मंत्रालय की पैक्स के कम्प्यूटरीकरण सहित सभी पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर राज्य सहकारी विकास समिति (एससीडीसी) और जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला स्तर पर जिला सहकारी विकास समिति (डीसीडीसी) का गठन किया गया है।

इसके अलावा, नीति आयोग कृषि और संबद्ध क्षेत्र में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का मूल्यांकन कर रहा है, जिसके लिए 21.10.2024 को ळमड पोर्टल पर छ।ठब्व्छै ;छ।ठ।त्क् कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) को पुरस्कार पत्र जारी किया गया है। प्रभाव मूल्यांकन में इस मंत्रालय की ‘PACSका कम्प्यूटरीकरण’ और ‘आईटी हस्तक्षेप के माध्यम से सहकारी समितियों को मजबूत करना’ परियोजनाएं शामिल हैं।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ ;च्।ब्ैद्ध देश में अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना ;ैज्ब्ैद्ध का सबसे निचला स्तर बनाती हैं, जो मुख्य रूप से सदस्य किसानों को अल्पावधि और मध्यम अवधि की ऋण सुविधा और अन्य इनपुट सेवाएँ, जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक वितरण आदि प्रदान करती हैं। वर्तमान में, लगभग 13 करोड़ किसान PACSसे जुड़े हुए हैं। जमीनी स्तर की सहकारी संस्थाएँ होने के नाते, PACSछोटे और सीमांत किसानों को संस्थागत ऋण प्रदान करके देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। PACSपरियोजना के कम्प्यूटरीकरण से PACSमें प्रशासन और पारदर्शिता में सुधार हुआ, जिससे ऋणों का तेजी से वितरण, लेन-देन की लागत में कमी, भुगतान में असंतुलन में कमी, क्ब्ब्ठ और ैज्ब्ठ के साथ निर्वाध लेखांकन हुआ। यह किसानों के बीच PACSके कामकाज में विश्वसनीयता बढ़ाता है, इस प्रकार ‘सहकार से समृद्धि’ के दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान देता है।

सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई प्रमुख पहलों की प्रगति
सहकारिता मंत्रालय ने 6 जुलाई, 2021 को अपनी स्थापना के बाद से, ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन को साकार करने और देश में प्राथमिक से लेकर शीर्ष स्तर की सहकारी समितियों तक सहकारी आंदोलन को मजबूत और गहरा करने के लिए कई पहल की हैं। अब तक की गई पहलों और प्रगति की सूची इस प्रकार है3-

प्राथमिक सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से जीवंत और पारदर्शी बनाना
पैक्स को बहुउद्देशीय, बहुआयामी और पारदर्शी संस्थाएं बनाने के लिए आदर्श उपनियम:
सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, राष्ट्रीय स्तर के संघों, राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी), जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी), आदि सहित सभी हितधारकों के परामर्श से पैक्स के लिए आदर्श उपनियम तैयार किए हैं और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रसारित किए हैं, जो पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियां करने, अपने परिचालन में शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने में सक्षम बनाते हैं। महिलाओं और अनुसूचित जातिया/अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देते हुए पैक्स की सदस्यता को अधिक समावेशी और व्यापक बनाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। अब तक 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आदर्श उपनियमों को अपनाया है या उनके मौजूदा उपनियम मॉडल उपनियमों के अनुरूप हैं।

म्प्यूटरीकरण के माध्यम से पैक्स को मजबूत बनाना:
पैक्स को मजबूत बनाने के लिए, भारत सरकार द्वारा 2,516 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ कार्यात्मक पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें देश में सभी कार्यात्मक पैक्स को एक सामान्य ईआरपी आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाना शामिल है, उन्हें एस.टी.सी.बी. और डी.सी.सी.बी. के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ना शामिल है। परियोजना के तहत 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 67,930 पैक्स को मंजूरी दी गई है। कुल 40,727 पैक्स को ईआरपी सॉफ्टवेयर पर शामिल किया गया है और 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा हार्डवेयर खरीदा गया है।

ई बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना उन पंचायतों में की जाएगी, जो इस योजना से वंचित हैंः

भारत सरकार ने नई बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना की योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में देश की सभी पंचायतों और गांवों को कवर करना है। इस पहल को नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों का समर्थन प्राप्त है। इस पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, हितधारकों के लिए लक्ष्य और समयसीमा दर्शाते हुए 19.9.2024 को श्मार्गदर्शिकाश् शुरू की गई है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, 15.2.2023 को योजना के अनुमोदन के बाद से देश भर में कुल 8,823 नई पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियाँ पंजीकृत की गई हैं।

हकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजनाः
सरकार ने एआईएफ, एएमआई, एसएमएएम, पीएमएफएमई आदि सहित भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से पीएसीएस स्तर पर अनाज भंडारण के लिए गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां और अन्य कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण की योजना को मंजूरी दी है। इससे खाद्यान्न की बर्बादी और परिवहन लागत में कमी आएगी, किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी और पीएसीएस स्तर पर ही विभिन्न कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 11 राज्यों की 11 पीएसीएस में गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है।

ई-सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के रूप में पीएसीएस:
सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नावार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच पीएसीएस के माध्यम से बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/अपडेशन, स्वास्थ्य सेवाएं, पैन कार्ड और आईआरसीटीसी/बस/एयर टिकट आदि जैसी 300 से अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब तक 40,214 पीएसीएस ने ग्रामीण नागरिकों को सीएससी सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है।

PACSद्वारा नए किसान उत्पादक संगठनों ;थ्च्व्द्ध का गठन:
सरकार ने छब्क्ब् के सहयोग से PACSद्वारा 1,100 अतिरिक्त थ्च्व् के गठन की अनुमति दी है, उन ब्लॉकों में जहाँ अभी तक थ्च्व् का गठन नहीं हुआ है या वे ब्लॉक किसी अन्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कवर नहीं किए गए हैं। इसके अलावा, छब्क्ब् द्वारा सहकारी क्षेत्र में 1,207 थ्च्व् का गठन किया गया है। यह किसानों को आवश्यक बाजार संपर्क प्रदान करने और उनकी उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने में सहायक होगा।

दरा पेट्रोल/डीजल दुकानों के लिए PACSको प्राथमिकता दी गई:
सरकार ने खुदरा पेट्रोलध्डीजल दुकानों के आवंटन के लिए PACSको संयुक्त श्रेणी 2 ;ब्ब्2द्ध में शामिल करने की अनुमति दी है। तेल विपणन कंपनियों ;व्डब्ेद्ध से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की 286 PACSने खुदरा पेट्रोल/डीजल दुकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है।

क उपभोक्ता पेट्रोल पंपों को खुदरा दुकानों में बदलने की अनुमति दी गई:
मौजूदा थोक उपभोक्ता लाइसेंसधारी पैक्स को तेल विपणन कंपनियों द्वारा खुदरा दुकानों में बदलने के लिए एक बार का विकल्प दिया गया है। तेल विपणन कंपनियों द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, 4 राज्यों के 109 थोक उपभोक्ता पम्प लाइसेंसधारी पैक्स ने खुदरा दुकानों में बदलने के लिए सहमति दे दी है, जिनमें से 45 पैक्स को तेल विपणन कंपनियों से आशय पत्र (एलओआई) प्राप्त हो चुका है।

अपनी गतिविधियों में विविधता लाने के लिए एलपीजी वितरक के लिए पात्र पैक्स:
सरकार ने अब पैक्स को एलपीजी वितरक के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी है। इससे पैक्स को अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और अपनी आय के स्रोत में विविधता लाने का विकल्प मिलेगा।
मीण स्तर पर जेनेरिक दवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में च्।ब्ैरू

PACSको प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र ;च्डठश्रज्ञद्ध संचालित करने की अनुमति दी गई है, जो उन्हें अतिरिक्त आय का स्रोत प्रदान करेगा और ग्रामीण नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं तक पहुंच को आसान बनाएगा। अब तक 4,470 च्।ब्ै/सहकारी समितियों ने च्डठश्रज्ञ के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, जिनमें से 2,705 PACSको फार्मास्युटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया ;च्डठप्द्ध द्वारा प्रारंभिक अनुमोदन दिया गया है और 755 PACSको राज्य औषधि नियंत्रकों से दवा लाइसेंस प्राप्त हुआ है जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हैं।

प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) के रूप में पैक्स:
देश में किसानों को उर्वरक और संबंधित सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पैक्स को पीएमकेएसके संचालित करने में सक्षम बनाया गया है। उर्वरक विभाग (भारत सरकार) और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, कुल 36, 180 पैक्स पीएमकेएसके के रूप में कार्य कर रहे हैं।

12ण् ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप जलापूर्ति योजनाओं (पीडब्लूएस) के संचालन एवं रख- रखाव का कार्य पीएसीएस द्वारा किया जाएगा:
पीएसीएस को ग्रामीण क्षेत्रों में पीडब्लूएस के संचालन एवं रख-रखाव (ओएंडएम) के लिए पात्र बनाया गया है। राज्यो/ंसंघ शासित प्रदेशों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पंचायत/ग्राम स्तर पर संचालन एवं रख- रखाव सेवाएं प्रदान करने के लिए 13 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा 1,227 पीएसीएस की पहचान/चयन किया गया है।

पैक्स स्तर पर पीएम- कुसुम का अभिसरण:
पैक्स से जुड़े किसान सौर कृषि जल पंप अपना सकते हैं और अपने खेतों में फोटोवोल्टिक मॉड्यूल स्थापित कर सकते हैं।
बैंक मित्र सहकारी समितियों को घर-घर वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के लिए माइक्रो-एटीएम:

डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों को डीसीसीबी और एसटीसीबी का बैंक मित्र बनाया जा सकता है। उनके व्यापार में आसानी, पारदर्शिता और वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए, नाबार्ड के सहयोग से इन बैंक मित्र सहकारी समितियों को घर-घर वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के लिए माइक्रो एटीएम भी दिए जा रहे हैं। पहल के प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा के लिए, 19 सितंबर 2024 को एक एसओपी शुरू किया गया है। अब तक, गुजरात में बैंक मित्र सहकारी समितियों को 7,446 माइक्रो एटीएम वितरित किए गए हैं।

ग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को रूपे किसान क्रेडिट कार्ड:
डीसीसीबी/एसटीसीबी की पहुंच बढ़ाने और डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों को आवश्यक नकदी उपलब्ध कराने के लिए सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) वितरित किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें तुलनात्मक रूप से कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सके और उन्हें अन्य वित्तीय लेनदेन करने में सक्षम बनाया जा सके। इस पहल के प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा के लिए 19 सितम्बर 2024 को एक एसओपी शुरू की गई है। अब तक गुजरात राज्य में 7,25,795 रुपे केसीसी वितरित किए जा चुके हैं।

त्स्यपालक उत्पादक संगठन ;थ्थ्च्व्द्ध का गठन:

मछुआरों को बाजार संपर्क और प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करने के लिए, छब्क्ब् ने प्रारंभिक चरण में 70 थ्च्व् पंजीकृत किए हैं। इसके अलावा, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने 225.50 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय के साथ 1000 मौजूदा मत्स्यपालन सहकारी समितियों को थ्च्व् में परिवर्तित करने का कार्य छब्क्ब् को आवंटित किया है।

श्वेत क्रांति 2.0:
भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों के 17. माध्यम से रोजगार बढ़ाने, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और दूध उत्पादन में सुधार लाने के उद्देश्य से 'श्वेत क्रांति 2.0' की एक नई पहल शुरू की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद में 50 प्रतिशत की वृद्धि करना, उन क्षेत्रों में डेयरी किसानों को बाजार तक पहुँच प्रदान करना है जो अभी तक संगठित डेयरी क्षेत्र द्वारा कवर नहीं किए गए और संगठित डेयरी क्षेत्र में डेयरी सहकारी समितियों की हिस्सेदारी को बढ़ावा देना है। सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ;छक्क्ठद्ध के सहयोग से इस पहल के प्रभावी कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने के लिए 19 सितंबर, 2024 को एक एसओपी तैयार और लॉन्च किया है।

आत्मनिर्भरता अभियान:
सहकारिता मंत्रालय ने आयात पर निर्भरता कम करने के लिए दालों (अरहर, मसूर और उड़द) के उत्पादन को प्रोत्साहित करने की पहल शुरू की है और इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (ईबीपी) के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इथेनॉल के उत्पादन के लिए मक्का का उत्पादन किया है। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) इस पहल के तहत केंद्रीय नोडल एजेंसियां हैं और उन्होंने सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों के पंजीकरण के लिए क्रमशः ईसायुक्ति (एनसीसीएफ) और ईसासमृद्धि (नेफेड) पोर्टल विकसित किए हैं। अरहर, उड़द और मसूर दालों के पूर्व-पंजीकृत किसानों के लिए, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 100 प्रतिशत उपज खरीदने की गारंटी दी है। हालांकि, अगर बाजार मूल्य एमएसपी से अधिक है, तो किसान अधिक लाभ के लिए अपनी उपज खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। इसी तरह, दोनों एजेंसियां तीनों मौसमों - खरीफ, जायद और रबी के दौरान पूर्व-पंजीकृत किसानों से मक्का की 100 प्रतिशत खरीद की गारंटी देती हैं, जिससे इथेनॉल डिस्टिलरी को मक्का की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होती है और साथ ही श्री अनन्त राम किसानों को मक्का की खेती के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। आज तक, 15,38,704 किसान पहले ही छब्ब्थ् के म्ेंउलनाजपण्पद पोर्टल पर और 17,64,130 किसान छ।थ्म्क् के 5-समृद्धि पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं।

शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों को मजबूत बनाना
शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए नई शाखाएं खोलने की अनुमति दे दी गई है:

यूसीबी अब आरबीआई की पूर्व अनुमति के बिना पिछले वित्तीय वर्ष में मौजूदा शाखाओं की संख्या के 10 प्रतिशत (अधिकतम 5 शाखाएं) तक नई शाखाएं खोल सकते हैं।

ठप्रे शहरी सहकारी बैंकों को अपने ग्राहकों को घर बैठे बैंकिंग सेवाएँ देने की अनुमति दे दी है:
शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अब घर बैठे बैंकिंग की सुविधा दी जा सकेगी। इन बैंकों के खाताधारक अब घर बैठे ही विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि नकद निकासी, नकद जमा, ज्ञल्ब्, डिमांड ड्राफ्ट और पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र आदि।

सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों की तरह बकाया ऋणों का एकमुश्त निपटान करने की अनुमति दी गई है:
सहकारी बैंक, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के माध्यम से, अब तकनीकी बट्टे खाते में डालने के साथ-साथ उधारकर्ताओं के साथ निपटान की प्रक्रिया भी प्रदान कर सकते हैं।

यूसीबी को दिए गए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय सीमा बढ़ाई गई:
आरबीआई ने यूसीबी के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समयसीमा दो साल यानी 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दी है।

शहरी सहकारी बैंकों के साथ नियमित संपर्क के लिए आरबीआई ने एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है:
सहकारी क्षेत्र की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए, आरबीआई ने एक नोडल अधिकारी को अधिसूचित किया है।

ग्रामीण और शहरी सहकारी बैंकों के लिए आरबीआई ने व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा दोगुनी से अधिक की:
ऽ शहरी सहकारी बैंकों की आवास ऋण सीमा अब 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 60 लाख रुपये कर दी गई है।
ऽ ग्रामीण सहकारी बैंकों की आवास ऋण सीमा को ढाई गुना बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दिया गया।
ग्रामीण सहकारी बैंक अब वाणिज्यिक अचल संपत्ति / आवासीय आवास क्षेत्र को ऋण देने में सक्षम होंगे, जिससे उनके व्यवसाय में विविधता आएगी:

इससे न श्री ओमप्रकाश श्री भंवरसिंह केवल ग्रामीण सहकारी बैंकों को अपने व्यवसाय में विविधता लाने में मदद मिलेगी, बल्कि आवास सहकारी समितियों को भी लाभ होगा।

सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस शुल्क घटाया गया:
सहकारी बैंकों को श्आधार सक्षम भुगतान प्रणालीश् ;।मच्ैद्ध से जोड़ने के लिए लाइसेंस शुल्क को लेनदेन की संख्या से जोड़कर घटा दिया गया है। सहकारी वित्तीय संस्थाओं को भी प्री- प्रोडक्शन चरण के पहले तीन महीनों के लिए यह सुविधा निःशुल्क मिलेगी। इससे अब किसानों को बायोमेट्रिक्स के माध्यम से अपने घर पर बैंकिंग की सुविधा मिल सकेगी।

सहकारी बैंकों को अब दिए जाने वाले ऋणों पर 85 प्रतिशत तक जोखिम कवरेज का लाभ मिल सकेगा। साथ ही, सहकारी क्षेत्र के उद्यम भी अब सहकारी बैंकों से बिना किसी गारंटी के ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

शहरी सहकारी बैंकों को शामिल करने के लिए अनुसूची मानदंडों की अधिसूचना:
शहरी सहकारी बैंक जो श्वित्तीय रूप से सुदृढ़ और अच्छी तरह से प्रबंधितश् (एफएसडब्लूएम) मानदंडों को पूरा करते हैं और पिछले दो वर्षों से टियर 3 के रूप में वर्गीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम जमा बनाए रखते हैं, अब भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की अनुसूची प्प् में शामिल होने और श्अनुसूचितश् दर्जा प्राप्त करने के पात्र हैं।

आरबीआई ने स्वर्ण ऋण के लिए मौद्रिक सीमा दोगुनी कर दी:
आरबीआई ने उन शहरी सहकारी बैंकों के लिए मौद्रिक सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी है जो पीएसएल लक्ष्य को पूरा करते हैं।

31ण् शहरी सहकारी बैंकों के लिए व्यापक संगठन:
आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों और ऋण समितियों के राष्ट्रीय महासंघ (एनएएफसीयूबी) को यूसीबी क्षेत्र के लिए एक व्यापक संगठन (यूओ) के गठन के लिए मंजूरी दे दी है, जो लगभग 1,500 यूसीबी को आवश्यक आईटी बुनियादी ढांचा और परिचालन सहायता प्रदान करेगा।

आयकर अधिनियम में सहकारी समितियों को राहत
1 से 10 करोड़ रुपये तक की आय वाली सहकारी समितियों के लिए अधिभार 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत किया गया:

इससे सहकारी समितियों पर आयकर का बोझ कम होगा और उनके पास अपने सदस्यों के लाभ के लिए कार्य करने हेतु अधिक पूंजी उपलब्ध होगी।

सहकारी समितियों के लिए एमएटी को 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया:
इस प्रावधान से अब सहकारी समितियों और कंपनियों के बीच समानता आ गई है।

आयकर अधिनियम की धारा 269एसटी के तहत नकद लेनदेन में राहत:
आयकर अधिनियम की धारा 269एसटी के तहत सहकारी समितियों द्वारा नकद लेनदेन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए, सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है कि एक सहकारी समिति द्वारा अपने वितरक के साथ एक दिन में किए गए 2 लाख रुपये से कम के नकद लेनदेन को अलग से माना जाएगा, और उस पर आयकर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
नई विनिर्माण सहकारी समितियों के लिए कर में कटौती:
सरकार ने निर्णय लिया है कि 31 मार्च, 2024 तक विनिर्माण गतिविधियाँ शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों के लिए पहले की 30 प्रतिशत प्लस अधिभार की दर की तुलना में 15 प्रतिशत की एक समान कम कर दर वसूली जाएगी। इससे विनिर्माण क्षेत्र में नई सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहन मिलेगा।

पैक्स और पीसीएआरडीबी द्वारा नकद जमा और नकद ऋण की सीमा में वृद्धिः
सरकार ने पैक्स और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी) द्वारा नकद जमा और नकद ऋण की सीमा 20,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये प्रति सदस्य कर दी है। इस प्रावधान से उनकी गतिविधियों में सुविधा होगी, उनका व्यवसाय बढ़ेगा और उनकी समितियों के सदस्यों को लाभ होगा।

नकद निकासी में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की सीमा में वृद्धि:
सरकार ने स्रोत पर कर कटौती के बिना सहकारी समितियों की नकद निकासी की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कर दी है। इस प्रावधान से सहकारी समितियों के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की बचत होगी, जिससे उनकी तरलता बढ़ेगी।

सहकारी चीनी मिलों का पुनरुद्धार
चीनी सहकारी मिलों को आयकर से राहत:
सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है कि सहकारी चीनी मिलों को अप्रैल, 2016 से किसानों को उचित एवं लाभकारी या राज्य परामर्शित मूल्य तक उच्च गन्ना मूल्य का भुगतान करने पर अतिरिक्त आयकर नहीं देना होगा।

चीनी सहकारी मिलों के आयकर से संबंधित दशकों पुराने लंबित मुद्दों का समाधान:
सरकार ने अपने केंद्रीय बजट 2023-24 में एक प्रावधान किया है, जिसमें चीनी सहकारी समितियों को आकलन वर्ष 2016-17 से पहले की अवधि के लिए गन्ना किसानों को उनके भुगतान को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति दी गई है, जिससे उन्हें 46,000 करोड़ रुपये से अधिक की राहत मिलेगी।
चीनी सहकारी मिलों को मजबूत करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की ऋण योजना शुरू की गई:
सरकार ने इथेनॉल संयंत्र या सह उत्पादन संयंत्र स्थापित करने या कार्यशील पूंजी या तीनों उद्देश्यों के लिए एनसीडीसी के माध्यम से एक योजना शुरू की है। अब तक मंत्रालय ने इस योजना के तहत एनसीडीसी को 750 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022-23 में 500 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2024-25 में 250 करोड़ रुपये) जारी किए हैं और 7.11.2024 तक एनसीडीसी ने अब तक 56 सीएसएम को 7790.00 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
इथेनॉल की खरीद में सहकारी चीनी मिलों को प्राथमिकता:
इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (ईबीपी) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा इथेनॉल की खरीद के लिए सहकारी चीनी मिलों को अब निजी कंपनियों के बराबर रखा गया है।

सरकार ने गुड़ पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है, जिससे सहकारी चीनी मिलें उच्च मार्जिन वाली डिस्टिलरियों को गुड बेचकर अपने सदस्यों के लिए अधिक लाभ अर्जित कर सकेंगी।
तीन नई राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सोसायटी
प्रमाणित बीजों के लिए नई राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी बीज सोसायटी:
सरकार ने एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत एक नई शीर्ष बहु- राज्य सहकारी बीज सोसायटी की स्थापना की है, जिसका नाम भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) है, जो एक ही ब्रांड के तहत गुणवत्तापूर्ण बीजों की खेती, उत्पादन और वितरण के लिए एक छत्र संगठन है। बीबीएसएसएल ने अब तक रबी सीजन के दौरान 366 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं, सरसों और दलहन (चना, मटर) के प्रजनक बीज लगाए हैं। इसी तरह, खरीफ सीजन के दौरान धान, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, ज्वार और ग्वार के प्रजनक बीज 148.26 हेक्टेयर भूमि पर लगाए गए हैं। अब तक 14,816 पैक्स/सहकारी समितियां बीबीएसएसएल की सदस्य बन चुकी हैं।

जैविक खेती के लिए नई राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी जैविक सोसायटी:
सरकार ने एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत एक नई शीर्ष बहु-राज्य सहकारी जैविक सोसायटी की स्थापना की है, जिसका नाम है राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड (एनसीओएल) जो प्रमाणित और प्रामाणिक जैविक उत्पादों का उत्पादन, वितरण और विपणन करने के लिए एक छत्र संगठन है। अब तक, 3,772 पीएसीएस/सहकारी समितियां एनसीओएल की सदस्य बन चुकी हैं। एनसीओएल ने 'भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड' के तहत 13 उत्पाद लॉन्च किए हैं, जैसे कि साबुत गेहूं का आटा, मूंग धुली, साबुत मूंग, मूंग छिलका दाल, मूग स्प्लिट, अरहर ध् तूर दाल, साबुत उड़द, उड़द दाल, मसूर साबुत, मसूर मलका, ब्राउन चना, राजमा चित्रा, चना दाल।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी निर्यात सोसायटी:
सरकार ने सहकारी क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) नामक एक नई शीर्ष बहु-राज्य सहकारी निर्यात सोसायटी की स्थापना की है। अब तक 5,438 पीएसीएस/सहकारी समितियां एनसीईएल की सदस्य बन चुकी हैं। आज तक एनसीईएल ने 4,581.7 करोड़ रुपये के निर्यात मूल्य के साथ 11,62,728 मीट्रिक टन वस्तुओं (चावल, चीनी, प्याज, गेहूं, मक्का और जीरा) की कुल निर्यात मात्रा हासिल की है।

सहकारिता में क्षमता निर्माण
राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) के माध्यम से प्रशिक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देनारू अपनी पहुंच बढ़ाकर, एनसीसीटी ने अक्टूबर 2024 तक 1,937 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और 1,09,021 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है।

व्यापार करने में आसानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग
केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण:
बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय को कम्प्यूटरीकृत किया गया है, जो समयबद्ध तरीके से आवेदनों और सेवा अनुरोधों को संसाधित करने में सहायता करेगा।
राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सहकारी समितियों के कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण की योजना:
सहकारी समितियों के लिए 'व्यापार करने में आसानी' बढ़ाने और सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में पारदर्शी कागज रहित विनियमन के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए, सरकार द्वारा आरसीएस कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक केंद्र प्रायोजित परियोजना को मंजूरी दी गई है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को हार्डवेयर की खरीद, सॉफ्टवेयर के विकास आदि के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। अब तक, 35 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों को भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है।

कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) का कम्प्यूटरीकरण:
दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना को मजबूत करने के लिए, 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में फैले कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) की 1,851 इकाइयों के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। नावार्ड इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। अब तक 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उन्हें मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, हार्डवेयर की खरीद, डिजिटलीकरण और सहायता प्रणाली की स्थापना के लिए वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 में 8 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 4.26 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

प्रामाणिक और अद्यतन डेटा संग्रह के लिए नया राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेसः
देश भर में सहकारी समितियों से संबंधित नीति निर्माण और कार्यक्रमोंध्योजनाओं के कार्यान्वयन में हितधारकों की सुविधा के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश में सहकारी समितियों का एक डेटाबेस तैयार किया गया है। अब तक, डेटाबेस में 8 लाख से अधिक सहकारी समितियों का डेटा एकत्र किया जा चुका है।
बहु- राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम, 2023:
शासन को मजबूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही बढ़ाने, चुनावी प्रक्रिया में सुधार और बहु-राज्य सहकारी समितियों में 97 वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को शामिल करने के लिए एमएससीएस अधिनियम, 2002 में संशोधन लाया गया है।

सहकारी लोकपाल:
बहु-राज्य सहकारी समितियां (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 में संशोधन के बाद, उक्त अधिनियम की धारा 85ए के तहत सहकारी लोकपाल की नियुक्ति राजपत्र अधिसूचना दिनांक 05.03.2024 के तहत की गई है। लोकपाल कार्यालय पूरी तरह से काम कर रहा है और एमएससीएस के सदस्यों की ओर से उनकी जमाराशियों, बहु-राज्य सहकारी समिति के कामकाज के न्यायसंगत लाभों या संबंधित सदस्य के व्यक्तिगत अधिकारों को प्रभावित करने वाले किसी अन्य मुद्दे के बारे में शिकायतों या अपीलों से निपटता है।

सहकारी चुनाव प्राधिकरण:
बहु-राज्य सहकारी समितियां (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 में संशोधन के बाद, शासन और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए सहकारी चुनाव प्राधिकरण की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य सभी एमएससीएस में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। 60 से अधिक एमएससीएस में चुनाव सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं।
सहकारी समितियों को ळमडपोर्टल पर ‘खरीदार’ के रूप में शामिल करना:
सरकार ने सहकारी समितियों को ळमड पर खरीदार के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति दी है, जिससे वे 67 लाख से अधिक विक्रेताओं से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कर सकेंगे, जिससे किफायती खरीद और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। अब तक 574 सहकारी समितियों को खरीदारों के रूप में ळमड पर शामिल किया गया है। आज तक 2,406 लेन-देन हुए हैं, जिनकी राशि 273.62 करोड़ रुपये है।
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का विस्तार करके इसकी सीमा और गहराई बढ़ाई जाएगी:
एनसीडीसी ने विभिन्न क्षेत्रों में नई योजनाएं शुरू की हैं जैसे स्वयं सहायता समूहों के लिए ‘स्वयंशक्ति सहकार’ दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए ‘दीर्घावधि कृषक सहकार’ और डेयरी के लिए ‘डेयरी सहकार’। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अब तक एनसीडीसी द्वारा कुल 52,533 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता वितरित की जा चुकी है।

गहरे समुद्र में चलने वाले ट्रॉलरों के लिए एनसीडीसी द्वारा वित्तीय सहायता:
एनसीडीसी भारत सरकार के मत्स्य विभाग के साथ समन्वय में गहरे समुद्र में चलने वाले ट्रॉलरों से संबंधित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। एनसीडीसी ने महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की मत्स्य

सहकारी समितियों के लिए कुल 44 गहरे समुद्र में चलने वाले ट्रॉलरों की खरीद के लिए 25.95 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता पहले ही मंजूर कर दी है।

सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों को धन वापसी:
सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को पारदर्शी तरीके से भुगतान करने के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया है। उचित पहचान और उनकी जमा राशि और दावों के प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद धन वितरण शुरू हो चुका है। अब तक 8.23 लाख आवेदकों को 1248.71 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं।

संदर्भ सूची

[1]. माहेश्वरी प्रकाश, 'भारतीय कृषि पर सहकारिता का प्रभाव' 'सहकारिता', अक्टूबर-नवम्बर, 1980, पृ. 285.
[2]. मेमोरिया सी.बी., 'कोआपरेशन इन इण्डिया'
[3]. मद्रास रिपोर्ट, ऑफ कमेटी एन कोआरपेशन, 1939-40
[4]. ई. एम. ह्यू, 'दी कोआपरेटिव मूवमेंट इन इण्डिया'
[5]. सहकारी समाज प्रचार शाखा, राजस्थन
[6]. रिजर्व बैंक रिव्यू ऑफ कोआपरेटिव मूवमेंट, 1939-40,
[7]. सहकारिता मंत्रालय - आर के/ वीवी/ए.एस.एच/आर.आर/1181 Pib.gov.in>Press Release frame Page, Post date – 03.12.202